

UPKN010057332017


WWW.LIVELAW.IN

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13, कानपुर नगर।

(अतिरिक्त विशेष न्यायालय अन्तर्गत धारा 28 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)

पीठासीन अधिकारी :- पवन कुमार श्रीवास्तव.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)
(जे.ओ.कोड-UP-6222)

एस0एस0टी0 संख्या-528 सन 2017

सरकार

बनाम

जावेद उर्फ मुन्ना पुत्र मुन्नू खॉ, निवासी कच्ची बस्ती, परमपुरवा, थाना-जूही, कानपुर नगर।

मु0अ0सं0- 143 सन 2017

धारा-363, 366ए, 376 भा0दं0सं0 व 3/4

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

अधिनियम-2012 एवं 3 (2) (v) अनुसूचित जाँति

और अनुसूचित जनजाँति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम 1989

थाना-जूही, कानपुर नगर

निर्णय

1- अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना का विचारण थाना जूही, कानपुर नगर की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143 सन् 2017, धारा 363, 366ए, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाँति और अनुसूचित जनजाँति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (जिसे सुविधा की दृष्टि से निर्णय के दौरान एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बोधित किया जायेगा) एवं धारा 3 सपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (जिसे सुविधा की दृष्टि से निर्णय के दौरान पोक्सो एक्ट से सम्बोधित किया जायेगा) में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा किया गया।

2- प्रस्तुत मामला धारा 376 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में पीड़िता का नाम गोपनीय रखा जाना उचित है। अतः साक्ष्य के विवेचन में पीड़िता के नाम को " क " से सम्बोधित किया जायेगा।

3- संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार से हैं कि, दिनांक 17.05.2017 को समय 15:10 बजे प्रार्थी मुकेश उर्फ लाला पुत्र स्व0 बदलू, निवासी कच्ची बस्ती

झन्डा चौराहा परमपुरवा द्वारा थानाध्यक्ष जूही के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 प्रस्तुत किया कि, उसकी पुत्री पीड़िता "क" को जावेद उर्फ मुन्ना पुत्र मुन्नू खॉ बहला फुसलाकर दिनांक 15-05-2017 को घर से भगा ले गया है। काफी खोज करने पर नहीं मिले। अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करें।

4- पुलिस विवेचना का विवरण इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुकेश उर्फ लाला की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर दिनांक 17-05-2017 को समय 15:10 बजे अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध मु0अ0सं0 143 सन् 2017 धारा 363,366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 थाना जूही में अंकित की गई जिसका इन्द्राज कायमी जी0डी0 में किया गया। विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी बनाया। दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद कर उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज कर, पीड़िता का चिकित्सीय निरीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 अंकित कराया गया। विवेचक ने प्रकरण में धारा 376 भा0दं0सं0 व पोक्सो एक्ट तथा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धाराओं में वृद्धि की है। तत्पश्चात प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा द्वारा की गई, वादी मुकदमा, पीड़िता "क" एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य संकलित किए।

5- पीड़िता का चिकित्सीय निरीक्षण दिनांक 18-05-2017 को समय 12:30 पी0एम0 से 12:45 पी0एम0 तक ए0एच0एम0 हास्पिटल में तैनात महिला चिकित्सक डा0 सुनीता सिंह द्वारा किया गया व चिकित्सीय आख्या तैयार की गई। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी व आन्तरिक चोट नहीं पाई गई। विवेचक द्वारा तमामी तपतीश बयान वादी गवाहान निरीक्षण घटना स्थल आदि एवं पीड़िता के अनुसूचित जाँति के सदस्या होने के आधार पर अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध धारा धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट एवं धारा 3/4 पोक्सो एक्ट का अपराध पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 17.06.2017 को प्रभारी विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6- दिनांक 05-07-2017 को पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 व 3 (2) 5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7- अभियोजन साक्ष्य का विवरण इस प्रकार है कि, अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में तथ्य के साक्षी के रूप में पी0डब्लू0-1 वादी मुकदमा मुकेश उर्फ लाला को प्रस्तुत

किया गया है जिसने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने एवं उक्त तहरीर को प्रदर्श क-1, तथा पी0डब्लू0-2 पीड़िता "क" जिसने धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान को प्रदर्श क-2 एवं लिफाफे को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है। चिकित्सक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0-3, डा0 सुनीता सिंह जिसके द्वारा पीड़िता "क" का मेडिकल परीक्षण किया गया है, को प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने चिकित्सीय आख्या पीड़िता प्रदर्श क-4-अभियुक्त जावेद खॉ को साबित किया है। पी0डब्लू0-4 गोमती देवी पीड़िता की माता है, जिसने अभियोजन कथानक के समर्थन में बयान दिया है। पुलिस कार्यवाही के सम्बन्ध में पी0डब्लू0-5 कांस्टेबल 283 विजय कुमार पैरोकार को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-5, नक्शा-नजरी प्रदर्श क-6 एवं आरोप-पत्र को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है।

8- अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिखा गया। अभियुक्त ने अभियोजन प्रपत्रों को गलत होना बताते हुए स्वयं को झूठा फँसाये जाने सम्बन्धी कथन किया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है।

9- मैंने उभय पक्ष के तर्कों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अवधार्य बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या पीड़िता अवयस्क बालक है, जिसे अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर उसके संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत करते हुए उसे अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया गया?
2. क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सम्मति के बिना भिन्न-भिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया?
3. क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर जबरदस्ती बल प्रयोग करते हुए यह जानते हुए कि, वह अनुसूचित जाँति की सदस्या है, के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु उसे दुष्प्रेरित करते हुए उस पर लैंगिक प्रहार कारित किया?
4. क्या अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

9- उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के सन्दर्भ में साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है:-

क. पी0डब्लू0-1 मुकेश उर्फ लाला का साक्ष्य। यह साक्षी वादी मुकदमा तथा पीड़िता का पिता है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, घटना दिनांक 15-05-2017 की है। हम ड्यूटी कर रहे थे। मुन्ना परमपुरवा कालोनी में रहता है।

हम बस्ती में रहते हैं। लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। घटना के समय लड़की की उम्र 17 साल थी। उसकी लड़की कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ती थी। उसकी लड़की 11वीं की छात्रा थी। लड़की को घर के पास से ले गया था फिर उने खोजबीन की, लड़की नहीं मिली तो रिपोर्ट तो रिपोर्ट लिखाई। चौकी इंचार्ज से रिपोर्ट लिखाई। यह तहरीर राधे ने लिखी थी जो उसने बोला था, वहीं लिखा था। इसके बाद उसने साइन बनाये थे। इसके बाद उसने प्रार्थना पत्र चौकी में दिया था। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस रात के बारह-एक बजे पुलिस गई थी। वह जगह उसने दिखाई थी, जहाँ से लड़की गई थी। दो दिन बाद तीसरे दिन लड़की अनवरगंज स्टेशन के पास पुलिस को मिली थी फिर पुलिस ने उसे फोन किया कि, तुम चौकी आ जाओ। कई लोग गये थे, हम गये थे। उसका बहनोई, बहन और मोहल्ले के दो-चार लोग गये थे। चौकी पर लड़की मिली थी। मुल्जिम भी चौकी पर मिला था, मुल्जिम का नाम जावेद उर्फ मुन्ना था। पुलिस उसकी लड़की को मेडिकल कराने ले गयी थी। उस दिन मेडिकल नहीं हुआ था। उसके दूसरे तीसरे दिन मेडिकल हो पाया। उसकी लड़की के न्यायालय में बयान होने आये थे। वह बाहर बैठा रहा और लड़की के बयान अन्दर हुए थे। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी और उसकी लड़की से भी पूछताछ की थी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पर उसके हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। जिरह में साक्षी ने बयान दिया है कि, घटना के समय वह ड्यूटी पर था। अभियुक्त को वह पहले से नहीं जानता। उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि, लड़की जावेद के साथ भाग गई है। उसका जावेद के पिता से कोई रंजिश या कोई लड़ाई, झगड़ा नहीं चल रहा है।

ख. पी0डब्लू0-2 पीड़िता "क" का साक्ष्य। यह स्वयं पीड़िता है जिसके साथ घटना घटित हुई है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, घटना के समय वह अपने मम्मी-पापा के साथ जूही परमपुरवा, कानपुर नगर में रहती थी। घटना दिनांक 15-05-2017 की है। उस दिन वह घर से अपने स्कूल कैम्ब्रिज कान्वेन्ट इण्टर कॉलेज, परमपुरवा सुबह 7:00 बजे गयी थी। समय 10:00 बजे छुट्टी होने पर कॉलेज के बाहर जावेद उर्फ मुन्ना मिले। उन्होंने बहका-फुसलाकर कहा कि, हमारे साथ चलो, घूमने चलना है। जावेद की बहन उसकी कक्षा में थी। इससे वह जावेद को जानती थी। उसने उसके साथ जाने से मना किया तब जावेद ने कहा कि, वह उसे खुश रखेगा और उससे शादी कर लेगा। उसने मना किया लेकिन उसे लगा कि, जावेद की बहन के साथ आने-जाने से दोस्तीवश वह उसके साथ चली गई। उसे फूलबाग, कानपुर बताकर ले गये लेकिन बहाने से जहानाबाद लेकर चले गये और बोला था कि शाम तक वापस आ जायेंगे। जहानाबाद में उसने कहा कि, वापस चलो लेकिन दो

दिन तक वापस नहीं लाये। जहानाबाद में किसी मकान स्थित दुकान पर ले गये और वहाँ मकान के आँगन में रात को रुके थे तथा दूसरे दिन चलने को कहा तो तो यहाँ-वहाँ घुमाते रहें। वहाँ जंगल के आसपास बगीचा जैसा था, वहाँ भी रात में रुके थे। WWW.LIVELAW.IN बगीचे में जब वह रात में अकेली हो गई तब जावेद ने उसके कपडे उतार दिये और उसकी मर्जी के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उसने विरोध किया तो उसे दो-तीन थप्पड़ भी मारे और धमकाया कि, यदि इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हे तथा तुम्हारे माँ-बाप को जान से मार देंगे। धमकी दी कि, यदि किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डाल देंगे और चेहरा बेकार कर देंगे। वह मारे डर के कुछ भी नहीं कर पायी और उसने उसे शिकार बना लिया। सुबह होने पर जावेद उसे लेकर अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर आया और उसे बैठाकर कहा कि, वह आता है और उसे छोड़कर चला गया। जावेद भागकर अपने घर आ गया था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बताने पर उसके पास आयी तथा उसे भी साथ ले गयी। पुलिस उसे जावेद के साथ चौकी पर ले गई। चौकी पर उसके मम्मी-पापा भी आ गये। पुलिस ने उसे उस रात नारी शरणालय/निकेतन में रखा। दूसरे दिन उसका मेडिकल उर्सला अस्पताल में हुआ था और कोर्ट में मजिस्ट्रेट/मैडम के यहाँ उसका बयान भी हुआ था। पीड़िता को बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआर-पी.सी. बंद लिफाफा खोलकर दिखाया एवं पढ़ाया गया। पीड़िता ने इस पर लगी फोटो एवं हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए अपना बयान सही अंकित होना बताया। बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 के सम्बन्ध में बताया कि, मुल्जिम जावेद ने चौकी पर उसे धमकाया था कि, उसकी तरफ बोलोगी वर्ना वह जेल से छूटेगा तो घर वालों को नहीं छोडेगा। डर के कारण उसने धमकी की बात पुलिस को नहीं बताई थी। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 पर प्रदर्श क-2 तथा लिफाफे पर प्रदर्श क-3 डाला गया। बयान के बाद पुलिस ने भी पूछताछ किया था। वह अपनी मम्मी-पापा के साथ घर चली गई। जिरह में साक्षी ने बयान दिया कि, वह 15-05-2017 को घर से कॉलेज गई व कॉलेज से जावेद के साथ गई थी। उसने मैडम के सामने जब बयान दिया था तो वह धमकी के कारण दिया था। बयान धारा 164 सीआर-पी.सी. में मर्जी से सम्बन्ध वाली बात गलत है। आज जो बयान दिया है, वह सही है। जावेद जब उसे कानपुर से बाहर लेकर जाने लगा तब उसे लगा कि, वह उसे गलत जगह ले जा रहा है। वह जहानाबाद शाम को करीब 5:00 बजे पहुँच गई थी। वह मना कर रही थी कि, उसे घर ले चलो लेकिन अभियुक्त ने बोला कि, उसका कोई रिलेशन में है, वहाँ रुक जाते हैं। जहाँ अभियुक्त ले गया, वह उसके रिलेटिव नहीं थे, उस घर में एक आण्टी भी थी। उसने उनसे कहा कि, जावेद उसे भगाकर लाया है लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

गवाह ने धारा 161 दंडप्रसंग में पुलिस को दिये गये बयान को सुनकर कहा कि, वह गलत हैं। अभियुक्त जावेद ने उसे ऐसा धमकाया था कि, मारे डर के वह उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह पा रही थी।

ग. पी0डब्लू0-3 डा0 सुनीता सिंह का साक्ष्य। यह चिकित्सक साक्षी है जिसने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनांक 18-05-2017 को समय करीब 12:30 पी0एम0 पर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु महिला कांस्टेबल उमाकाती यादव, उसकी माँ के साथ आयी थी। पीड़िता के माँ की सहमति पर उसके द्वारा मेडिकल शुरू किया गया था।

बाह्य परीक्षण- पीड़िता के निशानी अंगूठा व पहचान चिह्न उसके द्वारा अंकित किए गए थे। पीड़िता की पहली माहवारी 12 वर्ष की उम्र में बतायी गयी थी। आखिरी माह मई 2017 की बतायी गयी थी। पीड़िता के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता ने घटना के बारे में उसे बताया था। पीड़िता ने शारीरिक सम्बन्धी न होने की बात कही थी।

आन्तरिक परीक्षण- पीड़िता का हाईमेन इन्टेक्ट था। गुप्तांग पर चोट के निशान नहीं पाए गए। आयु की पुष्टि हेतु सी0एम0ओ0 कानपुर नगर को रेफर किया गया था। उसके द्वारा पीड़िता का वैजाइनल स्लाइड बनाकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। प्रोविजनल ओपेनियन के अनुसार पीड़िता के साथ Sexual thrust का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें उसके हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्शक-4 डाला गया। जिरह में गवाह ने बयान दिया कि, उसे यौन क्रिया का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

घ. पी0डब्लू0-4 गोमती देवी का साक्ष्य। यह साक्षी पीड़िता की माँ है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, उसकी लड़की को जावेद उर्फ मुन्ना बहला फुसलाकर दिनांक 15-05-2017 को भगा ले गया था। यह बात दिन के बारह बजे की है। उसकी लड़की सत्रह वर्ष की नाबालिग थी। जब वह काम से लौटकर करीब दो बजे आई तो घर में लड़की के न मिलने पर उसकी काफी खोजबीन की। मोहल्ले व रिश्तेदारी में तलाश किया था लेकिन लड़की नहीं मिली। दिनांक 17-05-2017 को थाने तथा चौकी परमपुरवा में गये थे तथा पति ने प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर थाने में मुकदमा लिखा गया था। उसी दिन महिला कांस्टेबल ने उसका बयान लिया था। उसने जो पूछा था, वह बता दिया था। उसे न्यायालय का समन मिला था जिसे लेकर वह बयान देने आई है। जिरह में गवाह ने बयान दिया कि, घटना के समय वह काम पर गई थी। जब वह वापस आई तो लड़की नहीं मिली। लड़की को जाते उसने नहीं देखा था। वह थाने नहीं गई थी।

ड. पी0डब्लू0-5 कां0 283 विजय कुमार का साक्ष्य। यह पुलिस का साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, वह थाना जूही में बतौर पैराकार तैनात है। इस मुकदमे के चिक लेखक राजेन्द्र प्रताप व विवेचक उप निरीक्षक संतोष कुमार तथा विवेचक/क्षेत्राधिकारी विशाल पाण्डेय के लेख व हस्ताक्षर से वह भलीभाँति परिचित है। पत्रावली में उपलब्ध चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या 4क कुल तीन वर्क जो कि कांस्टेबल 648 राजेन्द्र प्रताप द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप की गई है एवं कायमी जी0डी0 लेखक सी0सी0 2629 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अंकित की गई थी जिनसे वह परिचित है। उनके हस्ताक्षर को वह पहचानता है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा-नजरी कागज संख्या 6 जो कि एस0आई0 संतोष कुमार विवेचक द्वारा निर्मित किया गया है जिनके हस्तलेख को वह जानता है जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र कागज संख्या 3क कुल 5 वर्क में अंकित हस्ताक्षर सी0ओ0 विशाल पाण्डेय के लेख एवं हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल रपट थाना जूही नम्बर 46 समय 23:10 वापसी जिसमें धारा 3/4 की बढ़ोत्तरी की गई है, जो मु0अ0सं0 143/17 से सम्बन्धित है। जिरह में गवाह ने बयान दिया है कि, विवेचक, चिक लेखक इस समय थाने पर तैनात नहीं हैं।

10- उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि, पीड़िता एवं उसके माता-पिता ने घटना का समर्थन किया है तथा अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है, पीड़िता ने परिवार के दबाव में आकर झूठा बयान दिया है। पूर्व में पीड़िता ने धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में अभियुक्त के पक्ष में बयान दिया था। चिकित्सीय साक्ष्य से लैंगिक हमले की पुष्टि नहीं होती है। पी0डब्लू0-1 व 4 ने कोई घटना नहीं देखी है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

11- उपरोक्त तर्कों के आलोक में साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि, किसी बालिका से लैंगिक अपराध के विषय में विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य बनाम ओमप्रकाश ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 2235 के मामले में विचाराधीन था। माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि, जहाँ अवयस्क बालिका के साथ बलात्संग जैसा गम्भीर अपराध हुआ हो, वहाँ पारिवारिक सदस्यों का परिवार के अन्य बड़ों के आगमन की प्रतीक्षा करना और सोच-विचार करने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लेना अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि एक बालिका के भविष्य का प्रश्न अन्तरवलित है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने

26 घण्टे के विलम्ब को अभियोजन कथानक के प्रतिकूल नहीं माना है। उ०प्र० राज्य बनाम मनोज कुमार पाण्डे, ए०आई०आर० 2009 (एस०सी०) 711 (एफ.बी.) तथा संतोष मूल्या बनाम कर्नाटक राज्य, 2010, एस०सी०सी० 445 उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण देने का सामान्य नियम, लैंगिक अपराध में लागू नहीं होता। उपरोक्त साक्ष्य में पी०डब्लू-1 एवं पी०डब्लू-4 जो कि पीड़िता के पिता व माता हैं, दोनों ने बयान दिया है कि, जिस समय पीड़िता गई, वह अपने रोजगार स्थल पर थे। पी०डब्लू-4 के अनुसार जब वह घर लौटी तो उसकी लड़की नहीं मिली। पी०डब्लू-1 के अनुसार उसकी पत्नी ने उसे फोन पर लड़की के न मिलने की सूचना दी। पी०डब्लू-1 व 4 ने यह भी बयान दिया है कि, लड़की के न मिलने पर उन्होंने रिश्तेदारी व आस-पड़ोस में लड़की की खोजबीन भी की। इस प्रकार से उक्त साक्षियों का यह बयान स्वाभाविक है कि, नाबालिग पुत्री के न मिलने पर उन्होंने पहले स्वयं उसे खोजने का प्रयास किया और असफल रहने पर तीसरे दिन थाने पर रिपोर्ट लिखाई। गवाहों का उपरोक्त बयान स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं विश्वसनीय है। न्यायालय इस मत का है कि, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विलम्ब सम्बन्धी तर्क में कोई बल नहीं है और इससे बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं होता।

12— विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष ने बलपूर्वक यह तर्क दिया है कि, पीड़िता ने धारा 161 एवं 164 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त के पक्ष में कथन किया है और न्यायालय में उसके द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, धारा 161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने यह कथन किया है कि, वह दिनांक 15.05.2017 को जावेद के साथ जहानाबाद गई, जहाँ उन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्ध बने और वह जावेद के साथ रहना चाहती है। न्यायालय के समक्ष पीड़िता द्वारा दिये गये बयान का उल्लेख निर्णय के पूर्व पृष्ठ पर किया जा चुका है और उसने कई बार अपने बयान में यह उल्लेख किया है कि, उपरोक्त बयान उसने अभियुक्त के डर से दिया था क्योंकि अभियुक्त ने उसको धमकाया था कि, वह उसके माँ-बाप को जान से मार देगा, चेहरे पर तेजाब डालकर चेहरा बेकार कर देगा। इस स्तर पर यह भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है कि, पीड़िता की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक 19-05-1999 है और घटना के दिनांक 15-05-2017 को उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी जिसका उल्लेख पीड़िता, उसके पिता पी०डब्लू-1 एवं उसकी माँ पी०डब्लू-4 के बयान में है। पीड़िता का अभिरक्षा आदेश पारित करते समय विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-05-2017 में पीड़िता की आयु का उल्लेख किया है और न्यायालय द्वारा पीड़िता की इच्छा से उसे, उसके माता-पिता के सुपुर्दगी में दिया गया था। पीड़िता जो कि अवयस्क बालिका एवं विद्यालय की छात्रा

है, का अपनी माता-पिता की अभिरक्षा में वापस आ जाने पर आश्वस्त होकर घटनाक्रम का सही वर्णन किया जाना WWW.LIVELAW.IN अतः घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी एवं अवयस्क बालिका के साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाये जाने के आरोप में अभियुक्त उक्त बालिका की सहमति का बचाव नहीं ले सकता है।

13- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि, चिकित्सीय परीक्षण में यौन क्रिया का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है एवं पीड़िता का हाईमन इन्टैक्ट पाया गया है। न्यायालय इस मत का है कि, चिकित्सीय साक्ष्य विशेषज्ञ सलाह की कोटि में आता है और वर्तमान प्रकरण में पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में यह उल्लेख है कि, पीड़िता ने चिकित्सका को यह बताया कि, उसने कोई यौन क्रिया नहीं की है। इस तथ्य का अंकन चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-4 में है। न्यायालय इस मत का है कि, चिकित्सीय परीक्षण से ठीक पूर्व विवेचक को दिये बयान में पीड़िता ने अभियुक्त के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कथन किया है। धारा 164 दं0प्र0सं0 में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने इसी प्रकार का बयान दिया है। अतः यह अविश्वसनीय है कि, पीड़िता चिकित्सका के सामने विपरीत कथन करेगी। न्यायालय इस मत का है कि, चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-4 संदिग्ध एवं अविश्वसनीय है। चिकित्सीय आख्या व साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के विरुद्ध तब तक नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि, उक्त आख्या प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को सर्वथा अविश्वसनीय नहीं बनाती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्यारा सिंह बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 1977 एस0सी0 2274** में यह अवधारित किया है कि, चिकित्सीय साक्ष्य मात्र एक राय है। इसके आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि, भा0दं0सं0 की धारा 375 एवं धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमला अथवा बलात्संग की विस्तृत परिभाषा दी गई है और बलात्संग के अपराध के गठन के लिए किसी भी सीमा तक किया गया प्रवेशन पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि, पीड़िता के जननांग पर चोट के निशान हो अथवा पीड़िता की योनि में अभियुक्त द्वारा अपने जननांग का पूर्ण प्रवेशन किया गया हो। अतः चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क-4 का कोई प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता क्योंकि पीड़िता ने प्रारम्भ से अभियुक्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध होने का कथन किया है।

14- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि, गवाहों के बयान में कई विरोधाभाष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पी0डब्लू-1 एवं 4 के अनुसार पीड़िता को उसके घर से अभियुक्त भगाकर ले गया जब कि पीड़िता ने बयान दिया है कि, वह कॉलेज से स्वेच्छया अभियुक्त के साथ गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि,

गवाहों के बयान में गम्भीर विरोधाभास है जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। उपरोक्त तर्कों के सन्दर्भ में न्यायालय यह उल्लेख करना आवश्यक पाता है कि, धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान सारवान साक्ष्य नहीं होता और पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान को ही साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में घटना का सही वर्णन किया है। प्रतिपरीक्षा में वह घटना के मर्म पर कायम रही है। उसने सोच समझकर प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अतः उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य बनाम श्री नारायण 1992 (3) एस0सी0सी0 615 राजस्थान** में यह अवधारित किया गया है कि जब तक साक्ष्य से यह प्रकट न हो कि पीड़िता का अभियुक्त को अपराध में झूठे ही संलिप्त किये जाने का कोई ठोस कारण था, तब तक सामान्य रूप से न्यायालय को घटना के सन्दर्भ में उसके बयान को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

15— पीड़िता का पिता संविदा कर्मी है व माँ घरों में महरी का कार्य करती है। पीड़िता समाज के कमजोर वर्ग की सदस्या है। **गंगा भवानी बनाम रायपति वेंकट रेड्डी 2013 एस.सी.सी. 298** में यह निर्धारित किया गया है कि, यदि विरोधाभास इस प्रकार से सारवान हैं कि वह प्रकरण के मूल को प्रभावित करते हैं एवं मूलभूत तरीके से विचारण अथवा अभियोजन कथानक के मर्म को प्रभावित करते हैं तो न्यायालय को साक्षीगण की विश्वसनीयता के बारे में यह अवधारित करना होगा कि क्या उनका साक्ष्य विश्वास किए जाने योग्य है? क्षुद्र विसंगतियाँ न्यायालय द्वारा तिरस्कृत कर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश 2011 4 एस.सी.सी. 324** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, सभी आपराधिक प्रकरणों में साक्षीगण के बयान में सामान्य त्रुटियाँ आना सम्भव है जो साक्षीगण के प्रेक्षण में त्रुटिवश समय अन्तराल बीत जाने के कारण स्मृति क्षीण हो जाने की वजह से या घटना के समय के मानसिक आघात एवं भय के कारण आ सकती है। जहाँ साक्ष्य का लोप विसंगति उत्पन्न करता है अथवा साक्षीगण की सत्यता पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है और जहाँ साक्षीगण न्यायालय में बयान देते हुए सारवान सुधार करते हैं, ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए परन्तु क्षुद्र विरोधाभाष असंगतता, आक्षेपण अथवा मामूली विषयों पर सुधार जो अभियोजन कथानक के मर्म को प्रभावित नहीं करते हैं, केस में उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारने का कारण नहीं बन सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अद्यतन विधि व्यवस्था **फौजदारी अपील संख्या 1438/2011 राजेन्द्र उर्फ राजप्पा व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय तिथि 26-03-2021** में उपरोक्त विधिक स्थिति का उल्लेख किया गया है।

16— उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि, बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित WWW.LIVELEAW.IN विरोधाभास की प्रकृति इस प्रकार की नहीं है जिससे अभियोजन कथानक का मर्म प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पीड़िता अपने घर से स्कूल गई और स्कूल से अभियुक्त उसे शहर में घुमाने के बहाने उसे शहर के बाहर ले गया और अकेले में उसके साथ पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध एवं उसे भयोपरत कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया, उसे दो दिन तक अपने माता-पिता की वैध अभिरक्षा से उसे अन्यत्र उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा। इस तथ्य की पुष्टि पीड़िता के साक्ष्य से होती है। उल्लेखनीय है कि, “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012” की धारा 29 के अन्तर्गत कुछ अपराधों के विषय में अपराध कारित करने की उपधारणा की जाती है। धारा 29 में यह वर्णित है कि – “जहाँ किसी व्यक्ति का इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहाँ विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।”

17— धारा 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा भी की जाती है और न्यायालय अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा किन्तु अभियुक्त के लिए बचाव में यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी। उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार यह अभियुक्त के सबूत का भार था कि, वह यह साबित करे कि, उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसकी आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी किन्तु अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त ने मात्र इन्कार किया है और मिथ्या आरोपित किए जाने का कथन किया है परन्तु कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है कि, क्यों पीड़िता अथवा उसके माता-पिता अभियुक्त को मिथ्या आरोपित करेंगे?

18— धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमला परिभाषित किया गया है तथा धारा 4 के अन्तर्गत उक्त अपराध को दण्डनीय बनाया गया है। धारा 375 भा0दं0सं0 में बलात्संग की परिभाषा उल्लिखित है तथा स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना बलात्संग का अपराध गठित करता है। इस प्रकरण में घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क बालिका थी जिसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उसके विधिक संरक्षण से

बहला फुसलाकर व्यपहृत किया गया और एकान्त में उसके साथ उसकी इच्छा के बिना शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया।

19— अब प्रश्न यह है कि, क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने पीड़िता पर उक्त हमला इस आधार पर किया गया कि, पीड़िता अनुसूचित जाँति की सदस्या है? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, **दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 2006 एस0सी0 1267** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, धारा 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के गठन के लिए यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि, अभियुक्त द्वारा पीड़ित के विरुद्ध इसलिए अपराध किया गया क्योंकि पीड़ित अनुसूचित जाँति का सदस्य है। इस प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्थापित हो कि, पीड़िता के विरुद्ध अपराध कारित करने का कारण यह था कि, वह अनुसूचित जाँति की सदस्या है। अतः एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत किसी अपराध का गठन नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि, अभियुक्त ने दिनांक 15-05-2017 को वादी मुकदमा की अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर शहर में घुमाने के बहाने उसे शहर के बाहर ले जाकर उसका विधिपूर्ण संरक्षण से व्यपहरण किया गया। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त कृत्य पीड़िता के साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश करने के आशय से किया गया। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 366ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त ने पीड़िता को निर्जन स्थान पर ले जाकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना उसके साथ बलात्संग किया जिस हेतु वह धारा 376 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। घटना के समय पीड़िता अवयस्क बालिका थी जिसके साथ अभियुक्त ने धारा 3 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया और उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अभियुक्त दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार न्यायालय द्वारा विरचित समस्त अवधारणीय बिन्दु निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को धारा 363, 366ए व 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। उसे अभिरक्षा में लिया जाए। उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली एक घण्टा पश्चात

WWW.LIVELAW.IN

पेश हो।

दिनांक:-20-12-2021

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13
कानपुर नगर।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन को सुना गया। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। पूर्व में किसी अपराध में न तो दोषसिद्ध हुआ है न ही अन्य कोई अभियोग पंजीकृत हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त के परिवार के देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कम से कम दण्ड दिए जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उसे अधिकतम दण्ड दिए जाने की याचना की है।

उभय पक्ष के तर्कों के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। उचित दण्ड के निर्धारण हेतु न्यायालय को अपराध की गम्भीरता बढ़ाने वाली एवं कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहम्मद गयासुद्दीन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1977 एस0सी0 1926** में दण्डादेश दिए जाते समय दोषसिद्ध व्यक्ति में सुधार एवं समाज में उसके पुनर्वास की सम्भावना को दृष्टिगत रखने का आदेश दिया गया है। अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना मजदूर है, उसकी आयु मात्र 22 वर्ष है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की परिस्थितियों, अपराध कारित करने का तरीका, अभियुक्त की आयु व शारीरिक परिस्थिति तथा समस्त आनुषांगिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि निम्न दण्डादेश पारित किया जाना उचित है:-

आदेश

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को एस0एस0टी0 संख्या 528/2017, मु0अ0सं0 143/2017 थाना जूही के प्रकरण में धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में

दोषसिद्ध करते हुए पाँच वर्ष के सश्रम कारावास व मुबलिंग 5,000/—अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को धारा 366ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व मुबलिंग 7,000/—अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व मुबलिंग 10,000/—अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को धारा 4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व मुबलिंग 8,000/—अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्त की उपरोक्त सभी सजाएँ एक साथ चलेगी तथा पूर्व में इस अपराध संख्या के अधीन बिताई गई सजा दण्ड की अवधि में समायोजित की जाएगी। उपरोक्तानुसार दोषसिद्धि अधिपत्र तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

अभियुक्त जावेद उर्फ मुन्ना को एस0एस0टी0 संख्या 528/2017, मु0अ0सं0 143/2017 थाना जूही के प्रकरण में धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाँति और अनुसूचित जनजाँति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

अभियुक्त द्वारा जमा की गई अर्थदण्ड की धनराशि में से मुबलिंग 20,000/—रूपये बतौर प्रतिकर धारा 357 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता को बाद बीतने मियाद अवधि अपील दी जायेगी। अपील होने की दशा में उक्त प्रतिकर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशाधीन दिया जायेगा।

दिनांक:—20—12—2021

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या—13
कानपुर नगर।

